"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से.भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 जनवरी 2014—पौष 12, शक 1935

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक 03/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक-24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मण्डी समिति, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानों जिसमें समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र सम्मिलित हैं को, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से, उप-मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :-

स्थान

ग्राम छुरिया, तहसील एवं जिला राजनांदगांव में स्थित 15.84 एकड़ भूमि का क्षेत्र, जो खसरा नं. 506 से संबद्ध भूमि है, जिसकी सीमाएं :-

1. उत्तर में - डोंगरगांव छुरिया मुख्य मार्ग.

2. दक्षिण में - खसरा नं. 526, 527, 529 एवं 530 निम्नलिखित काश्तकारों की कृषि भूमि है, अर्थात् :-
   1. कचरू बोधन आ. मेहतर कुंवर सिंह ;
   2. बीरसिंह झाडूराम ;
   3. सहदेव पुनऊ ; और
   4. बीरसिंह झाडूराम उक्त क्रम में.

3. पूर्व में - खसरा नं. 508, 524 और 525 निम्नलिखित काश्तकारों की कृषि भूमि है, अर्थात् :-
   1. सहदेव आ. पुनऊ ;
   2. उदेसिंह आ. सहदेव ; और
   3. जेठू आ. जीवराखन, उक्त क्रम में.

4. पश्चिम में - खसरा नं. 507 राजगामी सम्पदा की भूमि का टुकड़ा और खसरा नं 531 लच्छु आ. लालू की कृषि भूमि है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

क्रमांक 03/ एफ-04/01/2010/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 03/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 02-01-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd January 2014

NOTIFICATION

No. 03/F-04/01/2010/14-2. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, notifies that the following places including all structures, enclosures, open place or locality shall be sub-market yard in the market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Dongargaon, District Rajnandgaon notified vide this department Notification No. 04/01/2010/14-2, Raipur, dated 31st January, 2013, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :-

PLACE

Land bearing Khasra No. 506 of an area of about 15.84 Acres of land situated in village Chhuria in Tehsil and District Rajnandgaon, surrounded by :-

1. North side - Dongargaon Chhuria main road.

2. South side - Khasra No. 526, 527, 529 and 530 is the agriculture land of the following Cultivators, namely :-
   1. Kachru Bodhan S/o Mehter Kuwarsing;
   2. Beersing Jhaduram;
   3. Sahdev Punau; and
   4. Beersing Jhaduram, in that order.

3. East side - Khasra No. 508, 524 and 525 is the agriculture land of the following cultivators, namely :-
   1. Sahdev S/o Punau;
   2. Udesing S/o Sahdev; and
   3. Zathu S/o Zivrakhan in that order.

4. West side - Khasra No. 507 is a land piece of the Raj Gami Property and Khasra No. 531 is the agriculture land of Lachhu S/o Lalu.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक 05/एफ-04/01/2010/14-2.——छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक-24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 4326/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर, 2012 द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मण्डी समिति, जशपुर, जिला जशपुर के मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानों जिसमें समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र सम्मिलित हैं को, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से, उप-मण्डी प्रांगण अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

स्थान

ग्राम महुआटोली (पटवारी हल्का नं. 14) तहसील कुनकुरी, जिला जशपुर में स्थित लगभग 2.023 हेक्टेयर की भूमि का क्षेत्र, जो खसरा नं. 5/2 से संबद्ध भूमि है, जिसकी सीमाएं :-

1. उत्तर में - खसरा नं. 5/4 गृह निर्माण मण्डल की अटल आवास हेतु प्रस्तावित भूमि.
2. दक्षिण में - खसरा नं. 4/1 शंभू आ. बुधू एवं अन्य की निजी भूमि.
3. पूर्व में - महुआटोली-लोधमा पहुंच मार्ग.
4. पश्चिम में - खसरा नं. 2 अमीन आ. जटा की निजी भूमि.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

क्रमांक 05/एफ-04/01/2010/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 05/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 02-01-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd January 2014

NOTIFICATION

No. 05/F-04/01/2010/14-2. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, notifies that the following places including all structures, enclosures, open place or locality shall be sub-market yard in the market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Jashpur, District Jashpur as notified vide this department Notification No. 4326/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 26th September, 2012, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :-

PLACE

Land bearing Khasra No. 5/2 of an area of about 2.023 hectare of land situated in village Mahuatoly (Patwari Halka No. 14) in Tehsil Kunkuri District Jashpur, surrounded by :-

1.	North side	-	Proposed land of Housing Board's Atal Awas at Khasra No. 5/4.
2.	South side	-	Personal land of Shambhu S/o Budhu and other at Khasra No. 4/1.
3.	East side	-	Mahuatoly-Lodhama approach road. .
4.	West side	-	Personal land of Amin S/o Jata at Khasra No. 2.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक 07/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक-24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 4324/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर, 2012 द्वारा अधिसूचित अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति, बीजापुर, जिला बीजापुर के मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानों जिसमें समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र सम्मिलित हैं को, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से, उप-मण्डी प्रांगण अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

स्थान

ग्राम संगमपली, तहसील भोपालपट्टनम जिला बीजापुर में स्थित 15 हेक्टेयर क्षेत्र, जो खसरा नं. 247/1 से संबद्ध भूमि है, जिसकी सीमाएं :-

1.	उत्तर में	-	खसरा नं. 266/1 और राजमार्ग
2.	दक्षिण में	-	खसरा नं. 247/1 की प्रस्तावित भूमि
3.	पूर्व में	-	कुडमूल नाला
4.	पश्चिम में	-	खसरा नं. 247/1 की प्रस्तावित भूमि का शेष क्षेत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

क्रमांक 07/एफ-04/01/2010/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 07/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 2-01-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd January 2014

NOTIFICATION

No. 07/F-04/01/2010/14-2. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, notifies that the following places including all structures, enclosures, open place or locality in the market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Bijapur, District Bijapur as notified vide this department Notification No. 4324/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 26th September, 2012, shall be sub-market yard with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :-

PLACE

Land bearing Khasra No. 247/1, of area 15 Hectares situated in village Sangampali, Tehsil Bhopalpattanam, District Bijapur, surrounded by :-

1. North side - Khasra No. 266/1 and highway
2. South side - Proposed land of Khasra No. 247/1
3. East side - Kudmul Nala
4. West side - Balance area of Proposed land of Khasra No. 247/1

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक 09/एफ-04/01/2010/14-2.——छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक-24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्र. 2739/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 18 जुलाई, 2011 द्वारा सूरजपुर के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र को संशोधित करने के लिए इसके आशय को संसूचित किया था.

यत: राज्य सरकार ने उक्त अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, सामान्य जन के हित में तथा प्रशासनिक प्रयोजन के लिए विनिश्चय किया है कि सूरजपुर मण्डी का समामेलन अपेक्षित नहीं है.

अतएव उक्त अधिसूचना क्र.2739/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर दिनांक 18 जुलाई, 2011 कोई प्रभाव नहीं रखेगा तथा एतद्द्वारा रद्द की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

क्रमांक 09/एफ-04/01/2010/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 09/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 02-01-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd January 2014

NOTIFICATION

No. 09/F-04/01/2010/14-2. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, vide Notification No. 2739/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 18th July, 2011 had signified its intention to amend the existing notified market area of Surajpur.

Whereas, the State Government, after considering the objections/suggestions received on the said notification, in the interest of general public and for the purpose of administration, has decided that amalgamation of Surajpur Market is not required.

Therefore the said notification No. 2739/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 18th July, 2011 shall not be given any effect thereto and is, hereby, revoked.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक 11/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक-24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 4471/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 द्वारा अधिसूचित अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानों जिसमें समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र सम्मिलित है को, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से, उप-मण्डी प्रांगण अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

स्थान

ग्राम सीतापुर, जिला सरगुजा में स्थित 2.174 हेक्टेयर क्षेत्र, जो खसरा क्र. 1243-1, 1251, 1252, 1253, 1254/1, 1255, 1256, 1257, 1252/2606, 1246/2657 से संबद्ध भूमि है, जिसकी सीमाएं :-

1. उत्तर में - 1257 का शेष रकबा
2. दक्षिण में - 1240 का रास्ता

3. पूर्व में - 1258 एवं प्राथमिक शाला.

4. पश्चिम में - 2658 एवं 1250 का रास्ता.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

क्रमांक 11/एफ-04/01/2010/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/11/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 2-01-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd January 2014

NOTIFICATION

No. 11/F-04/01/2010/14-2. — In exercise of the powers conferred by the clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, notifies that the following places including all structures, enclosures, open place or locality in the market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Ambikapur, District Sarguja as notified vide this department Notification No. 4471/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 5th October, 2012, shall be sub-market yard with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :-

PLACE

Land bearing Khasra No. 1253/1, 1251, 1252, 1253, 1254/1, 1255, 1256, 1257, 1252/2606, 1246/2657 of area 2.174 Hectares situated in village Sitapur, District Sarguja, surrounded by :-

1. North side - Remaining Rakba of 1257

2. South side - 1240 by Road

3. East side - 1258 and Primary School

4. West side - 2658 and 1250 by Road

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक 13/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक-24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने "आमनदुल्ला मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" को बंद करने के लिए अधिसूचना क्र. 2839/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 23 जुलाई, 2011 द्वारा इसके आशय को संसूचित किया है.

यत: राज्य सरकार ने उक्त अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर विचार करने के पश्चात् सामान्य जन के हित में तथा प्रशासनिक प्रयोजन के लिए, अधिसूचना क्र./डी-15/14-3/60/4017 रायपुर, दिनांक 30 मई, 2003 द्वारा अधिसूचित अनुसार आमनदुल्ला मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र को बनाये रखने का निर्णय लिया है.

अतएव उक्त अधिसूचना क्र.2839/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 23 जुलाई, 2011 कोई प्रभाव नहीं रखेगी और एतद्द्वारा रद्द की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

क्रमांक 13/एफ-04/01/2010/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 13/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 02-01-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd January 2014

NOTIFICATION

No. 13/F-04/01/2010/14-2. — In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, vide Notification No. 2839/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 23rd July, 2011 had signified its intention to de-establish 'the notified market area of Amandulla Mandi.'

Whereas, the State Government, after the considering the objections and suggestions received on the said notification, in the interest of general public and for the purposes of administration, has decided to keep the notified market area of Amandulla Mandi, as notified by Notification No./D-15/14-3/60/4017, Raipur, dated 30th May, 2003, intact.

Therefore the said Notification No. 2839/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 23rd July, 2011 shall not be given any effect thereto and is, hereby, revoked.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक 15/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक-24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15-46-चौदह-तीन-88, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 1989 द्वारा अधिसूचित अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति, कोन्टा के मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानों जिसमें समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र सम्मिलित है को, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से, उप-मण्डी प्रांगण अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

स्थान

ग्राम सुकमा (पुसामी-पारा) तहसील कोन्टा, जिला सुकमा में स्थित खसरा क्र. 38 का लगभग 5.00 एकड़ एवं खसरा क्र. 42 का लगभग 5.20 एकड़ क्षेत्र, जिसकी सीमाएं :-

1. उत्तर में - खसरा क्र. 30/2 पुजारीरामा, 36/1 शासकीय भूमि
2. दक्षिण में - खसरा क्र. 40/2 शासकीय भूमि
3. पूर्व में - राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 221
4. पश्चिम में - खसरा क्र. 38 शासकीय भूमि

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

क्रमांक 15/एफ-04/01/2010/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 15/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 02-01-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd January 2014

NOTIFICATION

No. 15/F-04/01/2010/14-2. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, notifies that with effect from the date of its publication in the Official Gazette, the following places including all structure, enclosures, open place or locality shall be sub-market yard in the market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Konta, as notified vide this department Notification No. D-15-XIV-III-88, Bhopal, dated 14th September, 1989, namely :-

PLACE

An area of about 5.00 acres of Khasra No. 38 and about 5.20 acres Khasra No. 42 at village Sukma (Pusami-Para) Tehsil Konta, District Sukma surrounded by :-

1.	North side	-	Khasra No. 30/2 Pujarirama, 36/1, Government Land
2.	South side	-	Khasra No. 40/2 Government Land
3.	East side	-	National Highway No. 221
4.	West side	-	Khasra No. 38 Government Land

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.